

# निदेशालय

## महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।

जलेब चौक, जयपुर।

फोन :- 0141-2612591, फैक्स : 0141-2603407, ई-मेल : [psa.hgcd.rj@nic.in](mailto:psa.hgcd.rj@nic.in)  
Website : <http://rajasthanhomeguards.gov.in/>

क्रमांक: प.37 ( ) गृमु/पीएसएएल/2019/16172-16205 दिनांक:

02 JUL 2019

समादेष्टा,  
गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र,  
.....

**विषय:-** जिले में कार्यरत निजी सुरक्षा एजेन्सीयों की सूची के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार, गृह मन्त्रालय के पुलिस आधुनिकीकरण अनुभाग के पत्रांक 24021/05/2018-पी.एम-1, दिनांक 31.07.2018 (सलंगन) के द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त भारत में बिना वैद्य लाइसेन्स प्राप्त किये किसी भी प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सी को किसी भी सरकारी कार्यालय/निजी संस्थानों द्वारा निजी सुरक्षा की निविदा आवंटित नहीं कि जावे। यहां यह उल्लेखनीय है कि बिना लाइसेन्स के कार्य करने वाली निजी सुरक्षा एजेन्सीज भविष्य में कभी भी सुरक्षा सम्बन्धी समस्या उत्पन्न करा सकती है।

इस सम्बन्ध में आपको कार्यालय पत्रांक 4106-07 दिनांक 12.02.2019 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि आप यह सुनिश्चित कर ले की आपके अधिकार क्षेत्र में निजी सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक उपलब्ध कराने वाली एजेन्सीज के पास वैद्य लाइसेन्स है। आपके द्वारा भिजवाई गई रिपोर्ट से आपके जिले में कार्यरत निजी सुरक्षा एजेन्सीयों की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पा रहा है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में कार्यरत निजी सुरक्षा गार्डस कहां-कहां पर नियोजित है, तथा नियोजित गार्डस को किस निजी सुरक्षा एजेन्सी द्वारा वहां नियोजित किया गया है, उसका नाम तथा पता प्राप्त करें। तत्पश्चात उक्त निजी सुरक्षा अभिकरण का नाम एवं अन्य विवरण का विभागीय वेबसाईट <http://home.rajasthan.gov.in/homeguard> या [psara.gov.in](http://psara.gov.in) पर जारी वैद्य लाइसेन्स वाली निजी सुरक्षा अभिकरण की सूची से मिलान कर लिया जावे। उक्त सूची में निजी सुरक्षा अभिकरण के नाम या विवरण में किसी प्रकार की असमानता पाये जाने पर उक्त अभिकरण की सूचना निर्धारित प्रपत्र प्रारूप में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

### प्रपत्र

क्र.स.	संस्था/फर्म का नाम व पता जहां निजी सुरक्षा गार्ड नियोजित है। (निरीक्षक का नाम)	सेवादाता निजी सुरक्षा एजेन्सी का नाम व पता	निजी सुरक्षा एजेन्सी से सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारी /पर्यवेक्षक का नाम	नियोजित किये गये निजी सुरक्षा गार्डस की संख्या
1	2	3	4	5

आप द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट से शीघ्रता-शीघ्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे ताकि अवैध रूप से निजी सुरक्षा का कार्य करने वाली एजेन्सीज पर रोक लगाई जा सके।

(यू. आर. साहू)

अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस  
गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल, मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेब साईट पर अपलोड हेतु।

अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस  
गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान,  
जयपुर।